भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 456
जिसका उत्तर सोमवार, 2 फरवरी, 2026/13 माघ, 1947 (शक) को दिया गया

ऋणों को माफ करना

456. श्री बाबू सिंह कुशवाहा:
श्री देवेश शाक्य:
श्री नीरज मौर्य:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2024 के बीच देश के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 12.3 लाख करोड़ रुपए के ऋणों को माफ करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने मौजूदा वसूली तंत्रों की प्रभावशीलता, दक्षता और समयबद्धता बढ़ाने के लिए विशिष्ट सुधारों का विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) बेहतर लाभप्रदता और सकल गैर-निष्पादित संपत्तियों (जीएनपीए) में गिरावट के बावजूद वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा 42,000 करोड़ रुपए की उच्च राशि की मात्रा को माफ करने के पीछे का क्या तर्क है; और

(ड.) भविष्य में ऋण माफी को कम करने और ऋण मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने तथा ऋण स्वीकृति और वसूली में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के लिए जारी किए गए दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान संबंधी दिशा-निर्देश 2025 के अनुसार, बट्टे खाते में डालना (जिसका एक बड़ा हिस्सा संग्रहण के अधीन तकनीकी/विवेकपूर्ण/अग्रिमों के कारण होता है) एक लेखांकन प्रक्रिया है जिसे बैंक द्वारा बैलेंस शीट से उन अशोध्य ऋणों को हटाने के लिए किया जाता है जिन्हें या तो वसूली योग्य नहीं माना जाता है या जिनकी वसूली से उधारदाताओं के संसाधनों का असंगत रूप से उपभोग होने की संभावना होती है।

आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंकों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, बैंक चार साल पूरे होने पर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) को बट्टे खाते में डाल देते हैं, जिनमें वे परिसंपत्तियां भी शामिल हैं जिनके संबंध में पूर्ण प्रावधान किया जा चुका है। इस तरह के बट्टे खाते डालने से उधारकर्ताओं की देनदारियों को माफ नहीं किया जाता है और इसलिए, इससे उधारकर्ता को कोई लाभ नहीं होता है। उधारकर्ता पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी बने रहते हैं और बैंक इन खातों में शुरू की गई वसूली कार्रवाइयों को जारी रखते हैं।

इसके अलावा, बट्टे खाते डाले गए ऋणों की वसूली एक सतत् प्रक्रिया है और बैंक उनके लिए उपलब्ध विभिन्न वसूली तंत्रों के अंतर्गत उधारकर्ताओं के विरुद्ध शुरू की गई वसूली कार्रवाइयों को जारी रखते हैं, जैसे कि सिविल न्यायालयों या ऋण वसूली अधिकरणों में मुकदमा दायर करना, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई, दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में मामले दायर करना आदि।

(ख) और (ग): मौजूदा वसूली तंत्रों की प्रभावशीलता, दक्षता और समयबद्धता को बढ़ाने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापक उपाय किए गए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) ऋण परिवेश में बदलाव लाया गया है, जिसमें दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) ने लेनदार-उधारकर्ता संबंध को मौलिक रूप से बदल दिया है, प्रवर्तकों/मालिकों से चूक करने वाली कंपनी का नियंत्रण छीन लिया है, और इरादतन चूककर्ताओं को समाधान प्रक्रिया से हटा दिया है। प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाने के लिए, कॉर्पोरेट देनदार के लिए व्यक्तिगत गारंटर को भी आईबीसी के दायरे में लाया गया है।

(ii) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(iii) ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) के आर्थिक क्षेत्राधिकार को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया ताकि डीआरटी उच्च मूल्य के मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकें, जिसके परिणामस्वरूप बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए उच्च वसूली हुई।

(iv) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एनपीए खातों की प्रभावी निगरानी और केंद्रित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेष दबावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन कार्यक्षेत्रों और शाखाओं की स्थापना की है, जो त्वरित और बेहतर समाधान/वसूली की सुविधा प्रदान करता है। कारोबार प्रतिनिधि की तैनाती और फीट-ऑन-स्ट्रीट मॉडल को अपनाने से भी बैंकों में एनपीए की वसूली को बढ़ावा मिला है।

(v) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋणदाताओं को समाधान योजना को शीघ्र अपनाने के लिए प्रोत्साहन के साथ दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की शीघ्र पहचान, रिपोर्टिंग और समयबद्ध समाधान की रूपरेखा प्रदान करने के लिए विवेकपूर्ण ढांचा जारी किया गया था।

(घ): आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2025 की पहली छमाही में कुल 35,096 करोड़ रुपये की ऋण राशि बट्टे खाते में डाली है (अनंतिम आंकड़े)। एनपीए का होना बैंकिंग के व्यवसाय के लिए एक सामान्य यद्यपि अवांछनीय परिणाम है जिसे कई कारकों के संगम के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिनमें प्रचलित समष्टि अर्थशास्त्र संबंधी परिस्थितियां, क्षेत्रीय मुद्दे, वैश्विक व्यावसायिक परिवेश, बैंकों द्वारा दबाव की पहचान में विलंब, बेहतर समय (अपटर्न) के दौरान आक्रामक उधार, अनुचित जोखिम मूल्य निर्धारण और खराब ऋण हामीदारी, परियोजना मूल्यांकन में विशिष्ट कौशल की कमी, परियोजना के कार्यान्वयन में लगने वाले समय और लागत में वृद्धि आदि शामिल है। सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां मार्च 2018 के 14.58 प्रतिशत के उच्च स्तर से घटकर सितंबर 2025 तक 2.30 प्रतिशत हो गई हैं।

(ड.): रिजर्व बैंक ने लंबे समय से लंबित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के साथ-साथ तनाव की समय पर पहचान और निवारण के उद्देश्य से कई पहल की हैं, और बैंकों के बोर्डों को भविष्य में एनपीए और राइट-ऑफ को कम करने के लिए प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विनियमित संस्थाओं (आरई) की सम्यक तत्परता की अपेक्षाओं सहित ऋण संबंधी मामले काफी हद तक नियंत्रणमुक्त हैं और इन्हें प्रासंगिक विनियामकीय और सांविधिक अपेक्षाओं के दायरे में तैयार किए गए ऋणदाताओं के बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीतियों द्वारा अभिशासित किया जाता है। विनियामक प्रावधानों का व्यापक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक विभिन्न चरणों में संभावित जोखिमों से निपटने के लिए मजबूत ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रियाएं स्थापित करें, जिसमें पूर्व-स्वीकृति मूल्यांकन और सम्यक तत्परता, मंजूरी पश्चात निगरानी और क्षेत्रीय एकाग्रता शामिल हैं।

इसके अलावा, बैंकों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्टाफ जवाबदेही नीति के अनुसार, कर्मचारियों का जवाबदेही अभ्यास आयोजित किया जाता है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, जो निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन न करने अथवा कदाचार अथवा सम्यक तत्परता मानदंडों का अनुपालन न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
